



2026:AHC:16364

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 781 वर्ष 2026

रोहित कुमार आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार तिवारी, रमेश कुमार ओझा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, पवन कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरक्षित कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार ओझा, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्रा, और राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना गया, तथा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, पुलिस थाना नई मंडी, जिला मुजफ्फरनगर में दर्ज केस क्राइम संख्या 410/2025, धारा 140(2), 103(1), 238, 315 B.N.S. के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका नाम मुखबिर द्वारा धारा 180 B.N.S.S. के तहत दर्ज कराए गए बयान के चरण पर जोड़ा गया है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 10.09.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जोरदार ढंग से जमानत अर्जी का विरोध इस आधार पर किया है कि CDR से यह संकेत मिलता है कि आवेदक मृतक के साथ नियमित बातचीत में था, क्योंकि उसने मृतक से लगभग 11 बार बात की थी; अतः, वह जमानत का हकदार नहीं है।
6. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा बाद में सूचक के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथन, जो धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, में उसका नाम प्रकाश में आया है, तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार बनाता है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक — रोहित कुमार, जो उपर्युक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त है, को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के निजी मुचलके तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी—

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित, भयभीत या दबाव नहीं डालेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के कथनों के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।